(62)

शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी तनय श्री स्व0 श्यामसुन्दर त्रिपाठी निवासी ग्राम रहिकवारा उम्र 65 वर्ष पेशा- खेती तह0 नागौद जिला सतना म0प्र0 ...... निगरानीकर्ता

R-94-I/08

बनाम

शासन म0प्र0 ..... गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्री मान् आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा
प्रकरण क्रमांक 60/अपील/ 2004-05
निर्णय दिनांक 24.9.2007

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 कानून म0सन् 1959

रमेश कुमार मिश्र 1-1-2008

1-1-2008

क्रमांक 166 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 1-2-08 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:"

मुख्य तथ्य

=========

स्थित ग्राम रहिकरावा तह0 नागौद जिला सतना आ.नं. 176 रकबा 0.261 हे0 एवं आ.नं. 810 रकबा 0.178 हे0, जो पुस्तैनी से निगरानी कर्ता के स्वामित्व व कब्जे दखल की भूमि है तथा कृषि भूमि है, जो आम निस्तार की भूमि नही है और पुस्तैनी से निगरानी कर्ता के स्वामित्व वआधिपत्य व कब्जे दखल से लगातार चली आ रही है ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कभी भी भूमि नही थी और ना हि कब्जे दखल में थी , क्यो कि 25.4.91 को अपीलार्थीके पिता के नाम दाखिल खारिज हुआ था , लेकिन खसरे में नाम दर्ज नही किया गया यह राजस्व कर्मचारियो की भूल

क्रमशः..2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग -- अ

प्रकरण कमांक –निग0 94/एक/2008 शैलेन्द्र कुमार/शासन जिला–सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–5–2015	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक को कई बार सूचना दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं रहे। प्रकरण वर्ष 2008 से लंबित है। आवेदक एवं उनके अभिभाषक दिनांक 04.09.2008 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। दर्शित परिस्थिति में प्रकरण रूचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	